155 21 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के सशक्तिकरण पर विशेषज्ञों के तदर्थ समूह की सिफारिशें – नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकार अंशकालिक निदेशकों के चयन हेतु खोज समिति के स्वरूप में संशोधन संबंधी आदेश

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27.07.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/11 (2)/97 –वित्त और दिनांक 09.10.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/11/36/97–वित्त का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिनमें यह उल्लेख किया गया था कि अध्यक्ष , लोक उद्यम चयन बोर्ड; सचिव लोक उद्यम विभाग; संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव और उद्योग मंत्री द्वारा मनोनीत ख्यातिलब्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) वाली एक खोज समिति नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई के निदेशक मंडल में नियुक्ति के लिए गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों का चयन करेगी।

2. सरकार ने अब उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करने का निश्चय किया है और यह निर्णय लिया है कि संबंधित नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के चयन हेतु खोज समिति के सदस्य के रूप में संबंधित सीपीएसई के मुख्य कार्यपालक को भी शामिल किया जाएगा।

3. सरकार के उपर्युक्त निर्णय को संबंधित सीपीएसई के ध्यान में लाया जाए।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 18 (16)/2005–जीएम–जीएल–85, दिनांक 29 मई 2007)

*****